न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 210/2023

1. सीता सिंह पुत्र झण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रार्थी

-:बनाम:-

1. गुरप्रीत सिंह पुत्रअवतार सिंह
2. गोपाल सिंह पुत्र अर्जन सिंह
3. जसविन्द्र कौर पत्नी गोरा सिंह
4. बोगा सिंह उर्फ बोधा सिंह
5. मंदर सिंह
6. रंगा सिंह
7. सिंगारा सिंह — पुत्रगण झण्डा सिंह
8. मोहन सिंह पुत्र निरंजन सिंह
9. सुखवन्त सिंह
10. हरविन्द्र सिंह — पुत्रगण मोहन सिंह
11. सेवा सिंह पुत्र करनैल सिंह
12. सेवा सिंह पुत्र कैला सिंह
13. हरपाल कौर पत्नी कैला सिंह

(क्रमांक 1 ता 13) जाति जटसिख निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

14. राजस्थान मरूधरा बैंक शाखा दुलमाना जरिये शाखा प्रबंधक।
15. ओरियन्टल बैंक मर्जर बैंक पंजाब नैशनल बैंक शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- अप्रार्थीगण

-::प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. श्री संदीप सैन अधिवक्ता	--प्रार्थी
2. श्री जगराज भारी अधिवक्ता	--अप्रार्थी सं. 1 ता 13
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	--अप्रार्थी सं. 16

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 28.5.24

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 ता 16 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में तहसील पीलीबंगा के चक 9 पीबीएन-ए में वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत सम्वत् 2077 के अनुसार खाता संख्या 14/12 के प.न. 44/300(5) किला न 2 ता 25 प.न. 44/301(14) [illegible] 45/300(6) किला न 1 ता 5, 5/1,5/2,6/1,6/2, 7 ता 14, 15/1,15/2, 16/1,16/2, [illegible] ता [illegible] 25/1,25/2 प.न. 45/301(13) किला न 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1 [illegible] 7 ता 14, 15/1,15/2,16/1,16/2,17 ता 2[illegible] 45/302(16) [illegible] न 2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,3/3,4/1 की कुल 20.390 है. नहर[illegible] गैर मु. रास्ता, खाला [illegible] प्रार्थी का 4163/60717 हिस्सा यानि 1.3876 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.13 16:31:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2, 4 ता 7, 12, 13 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार वर्तमान खाता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

संख्या 112/106 के प.न. 44/299 (53) किला नं. 1/1, 1/2, 2, 3, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 18, 19, 20, 20/1, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 की कुल 3.7950 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि में प्रार्थी के नाम 1037/15180 हिस्सा यानि .2592 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खोतदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित संयुक्त खाता की भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त है। इस भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण अच्छी में से अच्छी भूमि पर काबिज होकर प्रार्थी का घटिया भूमि देने पर आमादा है। इस कारण हम पक्षकारों के मध्य बंटवारा सींव व रकमराज बाबत विवाद बना रहता है। इसलिए अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी मंदी काश्त की सहूलियत व रास्ता खाला की सुविधा के हिसाब से खाता विभाजन करवाने व रकमराज अलग करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि है जिममें अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी भूमि को औन पौन दामो में विक्रय करने पर आमाद है। अप्रार्थीगण आये दिन भूमि में अनजान लोगों को लाते हैं तथा अच्छी में से अच्छी भूमि विक्रय करने की धमकी देते है। अगर अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपुर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी मुसकिल है। प्रथम दृश्या मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है इस लिए प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की प्राप्त करने का हकदार है कि जब तक प्रश्नगत भूमि को रहन बेय व अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं करे भूमि के मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 की ओर से श्रीजगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 11, 13 की ओर से कथन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 सेवा सिंह पुत्र करनैल सिंह व सेवा सिंह पुत्र कैला सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। सेवा सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि में दो नामो से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 5 मंदर सिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि बाबत रघुवीर सिंह को अपना मुखत्यारे आम नियुक्त किया हुआ है।

प्रार्थना पत्र दफा 2 मुताबिक रिकोर्ड स्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि चक 9 पीबीएन ए के खाता संख्या 14/12 की कुल 20.2390 है व चक 8 पीबीएन के खाता संख्या 112/106 की कुल 3.7950 है नहरी मय गैर मुमकिन खातेदारी सांझाा खाता की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी संख्या 1 ता 11 व 13 अपने हिस्सा अनुसार काफी वर्षो से काबिज काश्त है। प्रश्नगत रकबा सांझा खाता की कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पक्षकारान का काफी अर्सा से पुर्व बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज काश्त है व उसी अनुसार अपना खाता अलग करवाना चाहते है पक्षकरान के मध्य सींव बट का कोई विवाद नहीं है दोनो चको की कृषि भूमि समान समतल व उपजाउ भूमि है कृषि भूमि अच्छी व मंदी नहीं है। दोनो चकों की कृषि भूमि उपजाउ व समतल कृषि भूमि है प्रार्थी द्वारा [illegible] को तंग व परेशान करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.13 16:51:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन स्वीकार है। [illegible]-पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में किसी भी पक्षकारान द्वारा अपने कब्जा व [illegible] से अधिक न तो कृषि भूमि को बेचान करने की मंशा है व न ही ऐसा कोई बेचान पक्षकारान द्वारा किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह कथन कि अप्रार्थीगण अच्छी कृषि भूमि का बेचान अनजान व्यक्तियों को करने की फिराक में है के कथन मिथ्या अंकित किये है। आज तक प्रार्थना-पत्र में वर्णित कृषि भूमि बाबत् किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है व ना ही सांझा खाता की कृषि भूमि बाबत्

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किसी पुलिस थाना में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है व ना ही किसी न्यायालय में उक्त सांझा खाता की कृषि बाबत् कोई पूर्व में प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण जो कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा मात्र तथ्यों को रंगत देने व सांझा खाता की कृषि भूमि में विवाद करने के उद्देश्य से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र वादी काबिल खारिज के है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में स्टेट जवाब प्राप्त हुआ जिसमें रास्ता खाला की सुविधा पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निस्तारण किया जा सकता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संयुक्त खाता भूमि में एक सहखातेदार का अन्य रिकोर्डेड सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है एवंराजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन(wasted), हानि(damage), और अंतरित किये जाने जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेश दिनांक 20.12.23को अनवरत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है इसलिए अस्थाई व्यादेश दिनांक 20.12.23 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय प्रार्थना–पत्र सरे ईजलास उभय पक्षों की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
अतिरिक्त कलक्टर एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.13 16:51:44 IST
Reason: SelfAttested